38

1Re. COURT FEE

10 Rs. 1Re. 25P. 1Re. 25P. 1Re. 25P. COURT FEE भारत INDIA १ रुपया २५ पैसे 1 RUPEE 25 PAISE

(1) शिष 12 38

15

IN THE COURT OF BOARD OF REVENUE GWALIR M.P.

Revenue Revision No. of 1999.

R 1231-IV/99

: Vijay Kumar son of Mahesh Prasad, resident of village Gidurha, P.S Majhagawan,

versus.

RESPONDENT : Brajlal son of Darbarila resident of village Gidu P.S.Majhagawan, tahsil District Jabalpur.

TION UNDER TION 50 OF THE MADHYA CODE.

plicant being aggrieved by the order sed by Additional Commissioner dated n Ref. revision No.299B/121-97-98 arising dt 18.3.97 passed by Duvisional Officer, in R.C.No.278/W/121/95-96 arising of of order .97 passed by Nai Tahsildar, Sihora, begs er this revision on the following facts and

FACTS.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1231-पांच/99 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/18	यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 299/बी-121/97-98 में पारित आदेश दिनांक 24.01.98 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक का अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस की मदद से पालन रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश माल जमादार को देते हुए बेदखली बारंट जारी किया । जिसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा परछी निर्माण किए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 26.03.97 को संबंधित भूमि पर धारा-249 लागू नहीं होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 24.01.98 द्वारा अग्राहय की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा द्वारा आवेदक विजय कुमार की शिकायत पर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपील या	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के

निगरानी नहीं हो सकती है। न्यायदृष्टांत 1975 आर.एन. 283 में राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) - धारा 248 - अपील या पुनरीक्षण - अतिक्रमण का विवाद शासन और अतिक्रामक के मध्य होता है- शिकायत करने वाले को अपील अथवा पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार की व्यवस्था न्याय दृष्टांत 1984 आर.एन. 283 में दी गई है। उक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य